तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी0ए0 / 256 / 2006 / भरतपुर उदयसिंह बनाम हरी शंकर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित–
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी
श्री जी.एस.चारण, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 14–08–2025

निर्णय

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा प्रकरण संख्या 50 / 2005 में पारित आदेश दिनांक 22–10–2005 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। परन्तु वास्तव में यह धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र था। जिसे प्रार्थीगण द्वारा इसे खारिज करने का निवेदन इस आधार पर किया गया था कि उसके पिता द्वारा संस्थित एक पूर्व मुकदमा चूक के कारण खारिज कर दिया गया था और इस मुकदमे पर पुनर्विचार किया गया था। पुनर्विचार का प्रश्न धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत तय किया जाना है और आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान पर लागू नहीं होते हैं। यदि प्रतिवादी चाहते थे कि प्रार्थना पत्र को बिना सुनवाई के प्रारंभिक चरण में ही रेस–ज्यूडिकाटा की दलील पर खारिज कर दिया जाए, प्रार्थना पत्र को या तो धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया माना जाता है या प्राथमिकता के आधार पर कानूनी मुद्दे को तय करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी0ए0 / 256 / 2006 / भरतपुर उदयसिंह बनाम हरी शंकर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस आधार पर स्वीकार करने के लिए गंभीर अवैधता की है कि बाद का मुकदमा कानूनी प्रावधानों के खिलाफ था, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि प्रार्थीगण के पिता जो शुरू में विवादित भूमि के खातेदार थे, ने इसे पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से प्रार्थीगण को बेच दिया था और भूमि में अधिकार, शीर्षक और रूचि प्रार्थीगण को हस्तांतरित हो गई थी। अब ऐसी स्थिति में जब शीर्षक बदल गया है, विक्रेता का कोई हित नहीं है और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी मुकदमें का कोई मतलब नहीं है। क्रेता जिसके पास मुकदमे वाली भूमि का अधिकार, शीर्षक और रूचि निहित है, इस प्रकार इस तर्क पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना कि नया मुकदमा लाने के बजाय प्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत मुकदमे को बहाल किया जाना चाहिए था, तर्कसंगत नहीं है। अतः यह निगरानी में संशोधन स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–10–2005 को निरस्त किया जावे। अभिभाषक अप्रार्थी ने निगरानीधीन आदेश को समुचित बताते हुये निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में निगराकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 22–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। बहस पर मनन करने तथा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण / प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है। वर्तमान वाद सं. 50 / 2005 में वर्णित विवादित आराजी के बाबत् पूर्व में भी एक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी0ए0 / 256 / 2006 / भरतपुर उदयसिंह बनाम हरी शंकर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मुकदमा वादीगण / प्रार्थीगण के पिता द्वारा इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 23–03–2005 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। वादीगण / प्रार्थीगण ने अपने पिता द्वारा प्रस्तुत वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने की कार्यवाही नहीं करके पुनः नवीन वाद पेश कर दिया है, जो विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को तो स्वीकार किया है तथा दावा वादीगण इसी स्तर पर खारिज किया है, जो उचित है एवं उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में निगरानी खारिज की जाती है तथा निगराकार उचित सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य